बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–...02.07/15

संख्या–15/खा0–15–05/18..........742(15)......../भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग में नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** – (1) यह नियमावली "बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग नियमावली, 2019" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।** – जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;

(iii) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940;

(iv) 'नियमावली' से अभिप्रेत है औषधि एवं अंगराग नियमावली, 1945;

(v) 'निदेशालय' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग के अधीन औषधि नियंत्रण निदेशालय;

(vi) 'निदेशक प्रमुख' से अभिप्रेत है निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार;

(vii) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग; तथा

(viii) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;

(ix) "आयोग" से अभिप्रेत है "बिहार तकनीकी सेवा आयोग"।

3. संवर्ग का गठन। – (1) औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग एक राज्यस्तरीय संवर्ग होगा और इसमें निम्नलिखित 4 (चार) उपसंवर्ग होंगे :–

(i) सरकारी विश्लेषक उपसंवर्ग ;

(ii) जीवाणुविद उपसंवर्ग ;

(iii) वरीय वैज्ञानिक सहायक उपसंवर्ग ;

(iv) टेकनीशियन (बेन्च केमिस्ट) उपसंवर्ग।

(2) इस संवर्ग के प्रत्येक उपसंवर्ग की प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या वही होगी जो सरकार, द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाय।

(3) इस संवर्ग के प्रत्येक उपसंवर्ग की प्रत्येक कोटि के पदों का वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

4. भर्ती/प्रोन्नति। – इस संवर्ग के प्रत्येक उपसंवर्ग में सीधी भर्ती/प्रोन्नति परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार होगी।

5. परिशिष्ट के स्तम्भ 6 के अनुसार सीधी भर्ती हेतु मेधासूची तैयार करने के पश्चात किन्तु अनुशंसा करने के पूर्व, आयोग द्वारा विभाग/नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से प्रमाणपत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात आरक्षण कोटिवार अंतिम अनुशंसा अधियाचित रिक्तियों के अनुसार विभाग/नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। विभाग/नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी, प्रमाणपत्रों की जाँच के पश्चात, अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा। आयोग की अनुशंसा की प्राप्ति के उपरान्त, नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

6. (1) सेवा में सम्पुष्ट कर्मियों की प्रोन्नति पर, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, योग्यता–सह– वरीयता के अनुसार परिशिष्ट के स्तम्भ–15 में उल्लिखित पद–सोपान के पदों पर, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति के लिए सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्गत 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्गत प्रोन्नति की शर्तें, चारित्री या पी० ए० आर० एवं आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

7. आरक्षण। – सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा, समय–समय पर, सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

8. परिशिष्ट में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से, नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी (यदि कोई हो) इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

9. अवशिष्ट मामले। – इस नियमावली में जिन विषयों के लिए प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

10. निर्वचन। – यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विषय विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में, विधि विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा लिया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

11. कठिनाई का निराकरण। – यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विधि विभाग के परामर्श से विभाग को ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण करने की शक्ति होगी।

12. निरसन एवं व्यावृत्ति। – (1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय–समय पर, निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किए जाते है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

परिशिष्ट।

बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग

क्रम सं०	उप संवर्ग/पद का नाम	मूल कोटि के पद का नाम	आयोग का नाम	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ	भर्ती की प्रक्रिया	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा		नियुक्ति प्राधिकार	परीक्ष्यमान अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा	सम्पुष्टि	वरीयता	प्रोन्नति के पद–सोपान	विभागीय प्रोन्नति समिति	अभ्युक्ति
						न्यूनतम	अधिकतम									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	सरकारी विश्लेषक उपसंवर्ग	सरकारी विश्लेषक	बिहार तकनीकी सेवा	**[औषधि एवं अंगराग नियमावली, के नियम 44**	नियुक्ति प्राधिकार वर्ष की 1 अप्रिल की स्थिति के आधार पर	25 वर्ष	वही होगी जो सामान्य	सरकार	दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा	परिवीक्षा अवधि में विभाग द्वारा	विभाग के परामर्श से केन्द्रीय	परिवीक्षा अवधि में सेवा	आपसी वरीयता आयोग के	**(i)प्रथम सोपान–** उपनिदेशक	विभागीय प्रोन्नति समिति का	संबंधित वर्ष की 1ली

			आयोग।	**के अनुसार]** :– ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो – (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मेडिसिन या साइन्स या फार्मेसी या फर्मास्युटिकल केमिस्ट्री में स्नातक हो या केन्द्र सरकार से इस प्रयोजनार्थ मान्यताप्राप्त एवं अधिसूचित कोई समकक्ष अर्हता रखता हो और अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी सरकारी विश्लेषक या नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी संस्थान या जाँच प्रयोगशाला के प्रमुख के नियंत्रणाधीन किसी प्रयोगशाला में औषधियों की जाँच का कम–से–कम पाँच वर्षों का स्नातकोत्तर अनुभव रखता हो या सेन्ट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में औषधियों (शिडयूल 'सी' में वर्णित मदों सहित)	रिक्ति की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रिल तक भेजेगा। अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदनपत्र आमंत्रित करेगा और योग्यता (डिग्री) के प्राप्तांक एवं कार्य अनुभव के आधार पर आयोग द्वारा मेधासूची तैयार किया जायेगा।		प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर आरक्षण कोटिवार निर्धारित की जायेगी।		अवधि में सेवा संतोष–जनक नहीं पाये जाने की दशा में लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जायेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोष–जनक नहीं पायी जायेगी तो सेवामुक्त किया जा सकेगा।	विहित प्रशिक्षण में भाग लेना होगा। प्रशिक्षण का विस्तृत मोड्यूल निदेशालय द्वारा तैयार किया जायेगा।	परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम विभाग के परामर्श से केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित किया जायेगा।	संतोष–जनक होने, प्रशिक्षण सफलता–पूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।	द्वारा निर्धारित मेधासूची के क्रमानुसार अवधारित की जायेगी।	–सह सरकारी विश्लेषक **(ii)द्वितीय सोपान** – संयुक्त निदेशक–सह सरकारी विश्लेषक (iii)तृतीय सोपान – निदेशक–सह– सरकारी विश्लेषक।	स्वरूप वही होगा, जो सेवा विभागों की राज्य सेवाओं / संवर्गों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित है परन्तु यह कि अधिकतम ग्रेड–पे के पद पर प्रोन्नति के लिए विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अध्यक्षता बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की	अगस्त को उम्र के निर्धारण हेतु कट ऑफ डेट माना जायेगा।

				की जाँच का दो वर्षों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो, अथवा (ख) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मेडिसिन या साइन्स या फार्मेसी या फर्मास्युटिकल केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हो या केन्द्र सरकार से इस प्रयोजनार्थ मान्यताप्राप्त एवं अधिसूचित कोई समकक्ष अर्हता रखता हो या इन्स्टीच्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इन्डिया) की एशोशिएटशिप डिप्लोमा, जो 'एनेलिसिस ऑफ ड्रग्स ऐंड फर्मास्युटिकल्स' को विषयों में से एक रखते हुए उत्तीर्ण किया गया हो, धारण करता हो और उक्त स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी सरकारी विश्लेषक या नियुक्ति प्राधिकार द्वारा											जायेगी।	

				इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी संस्थान या जाँच प्रयोगशाला के प्रमुख के नियंत्रणाधीन किसी प्रयोगशाला में औषधियों की जाँच का कम–से–कम तीन वर्षों का अनुभव रखता हो या सेन्ट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में औषधियों की जाँच (षिड्यूल 'सी' में वर्णित मदों सहित) का दो वर्षों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो; परन्तु यह कि– (i) शिड्यूल 'सी' में वर्णित मदों की जाँच के प्रयोजनार्थ, – (क) खंड (क) या (ख) के अधीन नियुक्त एवं मेडिसिन, फिजियोलोजी, फार्माकोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, फार्मेसी में डिग्रीधारक व्यक्ति को नियुक्ति प्रधिकार द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान या प्रयोगशाला में उक्त मदों की जाँच का कम–से–कम छह माहों का अनुभव या प्रशिक्षण												

				होना चाहिए; (इख) खंड (क) या (ख) के अधीन नियुक्त किन्तु उक्त विषयों में डिग्रीविहीन व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान या प्रयोगशाला में उक्त शिड्यूल 'सी' ड्रग्स की जाँच का कम–से–कम तीन वर्षों का अनुभव या प्रशिक्षण होना चाहिए या सेन्ट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में औषधियों (शिड्यूल 'सी' में वर्णित मदों सहित) की जाँच का दो वर्षों का उसने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो; (ii) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो औषधियों के विनिर्माण से जुड़े किसी व्यापार या व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न हो, किसी क्षेत्र में सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा : परन्तु यह और कि ऐन्टीसेरा, टॉक्स्वाइड एवं भैक्सीन तथा भेटेरीनरी												

				व्यवहार हेतु डायग्नोस्टिक ऐन्टीजेन्स की जाँच के प्रयोजनार्थ नियुक्त व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जो भेटेरीनरी साइन्स या जेनरल साइन्स या मेडिसीन या फार्मेसी में स्नातक हो और जिसे बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स के मानकीकरण में कम–से–कम पाँच वर्षों का अनुभव हो, या बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स के मानकीकरण में कम–से–कम तीन वर्षों के अनुभव के साथ भेटेरीनरी साइन्स या जेनरल साइन्स या मेडिसिन या फोर्मेसी या फर्मास्युटिकल केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर डिग्री धारण करता हो।											
2.	जीवाणुविद उपसंवर्ग	सहायक जीवाणुविद	बिहार तकनीकी सेवा आयोग	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से माइक्रो बायोलॉजी में एम० डी० या माइक्रो बायोलॉजी में एम० एस० सी० या एम० फार्म।	यथा उपर्युक्त।	25 वर्ष	यथा उपर्युक्त	सरकार	यथा उपर्युक्त	यथा उपर्युक्त	यथा उपर्युक्त	यथा उपर्युक्त	यथा उपर्युक्त	(i) प्रथम सोपान – वरीय सहायक जीवाणुविद (ii) द्वितीय सोपान –	यथा उपर्युक्त	यथा उपर्युक्त।

													जीवाणुविद (iii) तृतीय सोपान – वरीय जीवाणुविद		
3.	वरीय वैज्ञानिक सहायक उपसंवर्ग	वैज्ञानिक सहायक	बिहार तकनीकी सेवा आयोग	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी० एस० सी० या बी० फार्म एवं 1 वर्ष का औषधियों के जाँच एवं विश्लेषण का कार्य अनुभव।	यथा उपर्युक्त	21 वर्ष	यथा उपर्युक्त	निदेशक प्रमुख	यथा उपर्युक्त	यथा उपर्युक्त	यथा उपर्युक्त	यथा उपर्युक्त	यथा उपर्युक्त	(i) प्रथम सोपान – वरीय वैज्ञानिक सहायक (ii) द्वितीय सोपान – वैज्ञानिक सहायक पर्यवेक्षक (iii) तृतीय सोपान – वरीय वैज्ञानिक सहायक पर्यवेक्षक	विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।	यथा उपर्युक्त।
4.	टेक्नीशियन उपसंवर्ग	टेकनीशियन (बेन्च केमिस्ट)	बिहार तकनीकी सेवा आयोग	डी० फार्म एवं बी० फार्म एवं छः माह का औषधियों के जाँच एवं विश्लेषण का कार्य अनुभव।	नियुक्ति प्राधिकार वर्ष की 1ली अप्रिल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर	21 वर्ष	यथा उपर्युक्त	निदेशक प्रमुख	यथा उपर्युक्त	यथा उपर्युक्त	यथा उपर्युक्त	यथा उपर्युक्त	यथा उपर्युक्त	i) प्रथम सोपान – सीनियर टेकनीशियन (बेन्च केमिस्ट) (ii) द्वितीय	यथा उपर्युक्त	यथा उपर्युक्त।

					आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजेगा। अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन आमंत्रित करेगा और योग्यता (डिग्री) के प्राप्तांक एवं कार्य अनुभव के आधार पर आयोग द्वारा मेधासूची तैयार किया जायेगा।									सोपान – टेकनीशियन (बेन्च केमिस्ट) सुपरवाइजर (iii) तृतीय सोपान – सीनियर टेकनीशियन (बेन्च केमिस्ट) सुपरवाइजर।		

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 15/खा0–15–05/18 /स्वा0, पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित नियमावली की 200 प्रतियां स्वास्थ्य विभाग, बिहार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 15/खा0—15—05/18 742(15) /स्वा0, पटना, दिनांक— 02/07/15

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी असैनिक [redacted] चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को वेवसाईट पर प्रकाशित करने प्रेषित।

01/07/15

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।